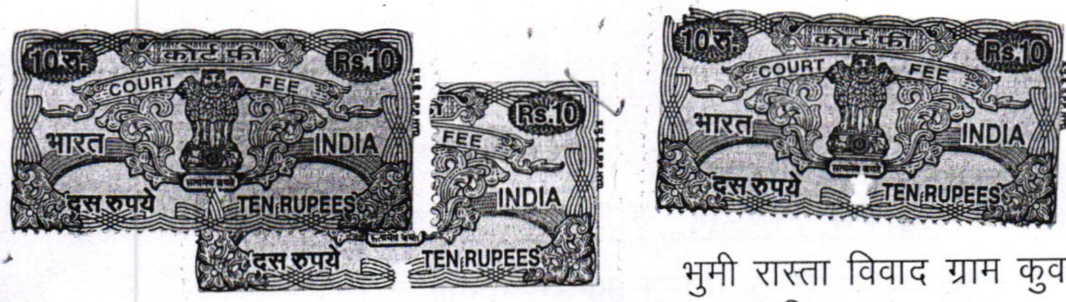

भुमी रास्ता विवाद ग्राम कुवरसी
तह व जिला धार म0प्र0।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0।

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/3264

1– मांगीलाल पिता गणपत जी गारी उम्र 54 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम कुवरसी तह व जिला धार –– निगरानीकर्ता

बनाम

1– बद्रीलाल पिता गणपत जी गारी
2– नेहरूसिंह पिता कनीराम जाति गारी
3– नंदराम पिता नग्गा जी जाति गारी
सभी का धंधा खेती सभी निवासियान ग्राम
कुवरसी तह व जिला धार म0प्र0। –– विपक्षीगण

:: निरगानी अर्ज धारा50 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 अनुसार ::

" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागिय अधिकारी महोदय, राजस्व क्षेत्र धार जिला धार केराजस्व प्रकरण कं– 198/अपील / 2015–16/अपील मे पारित आदेश दिनांक– 27-07-17 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंदर अवधी प्रस्तुत है।जहॉ प्रथम अपील मुल न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील धार के राजस्व प्रकरण कं– 11/अ–13/2011–12 मे पारित अंतिम आदेश दिनांक– 11–8–2014 से द्रवित होकर अपील प्रस्तुत की हुई है और विचाराधीन है "

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/17/3264 जिला- धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत नर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष आवेदक पक्ष द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 10 का पुन: स्थल निरीक्षण किये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना जाकर व पूर्व में हुये निर्णय को ध्यान में रखते हुये ही राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, इस तर्क के साथ आवेदक की आपत्ति अस्वीकार करते हुये प्रकरण आगे की कार्यवाही हेतु नियत किया गया है, जिसमें पृथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	